

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/ 6546-49 दिनांक :- 15/7/2015

केडर स्ट्रेन्थ आदेश संख्या 07 / 2015-16

वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना प.2(11) वित्त/राजस्व/96 पार्ट-II दिनांक 24.05.13 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13.08.13 में दिये गये निर्देशों तथा सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग के आदेश क्रमांक प.3(09)सी.ए.डी./2014 दिनांक 14.05.15 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की केडर स्ट्रेन्थ में सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग की सूची में नीचे वर्णित पद को शामिल किया जाता है:-

क्र. स.	विभाग/कार्यालय का नाम	स.ले.अ. ग्रेड-I	स.ले.अ. ग्रेड-II	क.ले.
1.	क्षेत्रीय विकास आयुक्त सीएडी, चम्बल, कोटा	-	2	-
	योग	-	2	-


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/ 6546-49 दिनांक :- 15/7/2015
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. क्षेत्रीय विकास आयुक्त सीएडी, चम्बल, कोटा।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी.) वेबसाइट पर अपलोड एवं पी.आई.एस. में इन्द्राज करने हेतु।
5. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
6. पदस्थापन सहायक अलेसे-II/III विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जावें।


(के.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)